P&Q

दैनिक जागरण

Tue, 30 Sep 2025; daily - Dainik Jagran - Noida;
Size: 180.75 sq. cm.; Circulation: 66000; Page: 2

P&Q

विज्ञापन के लिए 100 करोड़ के भुगतान के नोएडा प्राधिकरण के मांग पत्र पर रोक

- अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा हाई कोर्ट ने प्राधिकरण से मांगा जवाब
- कहा- अंतरिम आदेश नहीं पारित करने पर याचिकाकर्ता कंपनी को होगी अपूरणीय क्षति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाई-वे बनाने वाली नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) से विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपये के मांग संबंधी नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार है। पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश नहीं दिया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है और इसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।

नोएडा के आउटडोर विज्ञापन विभाग द्वारा मांग पत्र जारी कर याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा डीएनडी फ्लाई-वे पर प्रदर्शित आउटडोर विज्ञापनों को हटाने का भी अनुरोध किया गया था। एनटीबीसीएल द्वारा दायर याचिका में दावा किया कि नोएडा प्राधिकरण ने उसे डीएनडी फ्लाई-वे के नोएडा की ओर एक निश्चित दर पर आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार दिया था, जिसे बाद की तारीखों में बढ़ा दिया और नियमित रूप से भुगतान किया। 26 अक्टूबर 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को डीएनडी फ्लाई-वे का उपयोग करने वाले यात्रियों से यूजर शुल्क वसूलने से रोक दिया था।